FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं. 2023/400

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

घासीराम .... बनाम ख़ातेदारी ....

किस्म मुकदमा ध्0 प्रा नम्बर 729 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मिसल दिनांक 22/05/2025 को पेश हो	
	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 25/6/25 को पेश हों।	
25/6/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/25 को पेश हों।	
3/9/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 6/11/25 को पेश हों।	
06/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रा0 पत्र अं0 धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताकिब तहसीलदार रिपोर्ट ग्राम नीमकाथाना की जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 का खाता सं0 452 ख0नं0 1953 में खातेदार का नाम मूला पुत्र कालू हरिजन दर्ज हैं। जिसका हाल ख0नं0 929 रकबा 1.05 बनकर ग्राम हीरानगर में मूला पुत्र बालू दर्ज हैं। जिस कारण खातेदार का नाम जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 में दर्ज मूला पुत्र कालू शुद्ध किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में
	अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–	

आदेश

तन ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित ख.नं. 929 रकबा 1.05 है0 में प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर का गलत दर्ज नाम ''मूला पुत्र बालू'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''मूलाराम पुत्र कालूराम'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना